प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश

विकास नगर, कानपुर–208002
Visit us: http:// uptod.gov.in/directorate

Phone No.: 0512-2582004
Fax No.: 0512-2582964
E-mail: directortechup@gmail.com

-:आदेश:-

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कर्मशाला अनुदेशक, शीटमेटल वेतनबैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेडवेतन रू0 4200/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेवल–6) में न्यूनतम् वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है। उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें शासनादेश संख्या–20/1/74–3 दिनांक–11.06.1975 में निहित प्राविधानानुसार किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है:–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	स्थाई पता	संस्था जहाँ नियुक्ति की जानी है
1	2	3	4
1.	श्री महेश चन्द्र पुत्र–स्व0 श्री सीता राम ग्राम–सांठी कल्प, पोस्ट–टिनिच, जिला–बस्ती–272163, उत्तर प्रदेश।	ग्राम–सांठी कल्प, पोस्ट–टिनिच, जिला–बस्ती–272163 उत्तर प्रदेश।	राजकीय पालीटेक्निक, डीह हरख, बाराबंकी

नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी वरिष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991" में निहित प्राविधानानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होगें:–

1. सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉं।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
3. एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
5. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण–पत्र।
6. स्थानीय पुलिस थाना से चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण–पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजे जायें। नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

(मनोज कुमार)
निदेशक,

पृ0सं0: 33999-04 /ई–स्था0–अरा0बैकलाग–2007(03) कानपुर : दिनांक–27/11/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

स्पीड पोस्ट	1.	अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2, विधान भवन, लखनऊ।
	2.	उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक–77(II)/12/डी0आर0/एस0–12/2010–11 दिनांक–24.06.2020 के संदर्भ में।
	3.	संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
	4.	संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र लखनऊ।